

मकान नं.   -



# नगर परिषद, अजमेर

प्रपत्र - 3

[ नियम 5 (1) देखिये ]

गृहकर के स्व-निर्धारण के लिए प्रारूप

प्रेषिती,

कार्यालय उपयोग हेतु

.....

आयुक्त,

प्राप्ति की तारीख .....

नगर परिषद, अजमेर

लिपिक के हस्ताक्षर .....

भाग - 1

( सामान्य सूचना )

1. वर्ष, जिससे कर संबंधित है

2. (क) भवन और भूमि के स्वामी /  
अधिभोगी का नाम

(ख) वृत्ति:- सेवा/कारोबार/गृहिणी/अन्य :-

(ग) आयु

(घ) दूरभाष सं. :- कार्यालय

निवास

फैक्स

(ड) वर्तमान पता / डाक का पता .....

.....

3. भवन और भूमि का पता :-

(i) वार्ड सं.

(ii) मौहल्ले का नाम

(iii) गृह सं.

(iv) मार्ग का नाम

(v) शहर का नाम

(vi) पिन कोड सं.


4. पिछले वर्ष के जमा कर की विशिष्टियां :-

(i) अन्तिम निर्धारण वर्ष .....

(ii) उस वर्ष का निर्धारित कर .....

(iii) जमा कर की विशिष्टियां .....

क.प.उ.

## भाग - 2

5. भवन और भूमि की/विशिष्टयां :-

1. भूखण्ड का क्षेत्र (वर्ग गज में)

(क) कुल क्षेत्र (वर्ग गज में) .....

(ख) खाली क्षेत्र (वर्ग गज में) .....

(ग) निर्मित क्षेत्र (वर्ग गज में) ..... (वर्ग फुट में)

(घ) सनिर्मित भाग का तल क्षेत्र (वर्ग फुट में) .....

2. भूमि और भवन का तल वार क्षेत्र सहित उपयोग .....

भूमि का उपयोग	तल क्षेत्र का व्यौरा (वर्ग फुट में)								
	तहखाना	भूतल	प्रथम तल	द्वितीय तल	तृतीय तल				कुल
आवासीय									
वाणिज्यिक									
संस्थागत									
औद्योगिक									
विविध									

## भाग - 3

1. कर का निर्धारण

क्र.सं.	कुल भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	खाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में) कर की दर .....	सनिर्मित तल क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) कर की दर .....	संदेय कर की रकम		संदेय शुद्ध कर (5+6)
				खाली भूमि के क्षेत्र के लिए	सनिर्मित क्षेत्र के लिए	
1	2	3	4	5	6	7
			क. (निवासीय) ख. (वाणिज्यिक) ग. (संस्थागत) घ. (औद्योगिक)			

**टिप्पणी :-**

1. स्वामी/ अधिभोगी से उसके स्वामित्व वाली या अधिभोग की प्रत्येक संपत्ति के पृथक-पृथक स्व-निर्धारण प्रारूप भरने की अपेक्षा की जाती है
2. स्वामी / अधिभोगी स्व-निर्धारण प्रपत्र भरने के पूर्व राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 104 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का अध्ययन करेगा।
3. यदि भूमि का उपयोग एक से अधिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है तो प्रत्येक प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने वाले भाग को भाग-3 में उपदर्शित किया जाना चाहिए।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम .....

स्वामी /अधिभोगी/प्राधिकृत प्रतिनिधि